

# पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़



(छ.ग, शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

(Accredited by NAAC with Grade 'A+')

कोनी – बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) 495009 दूरभाष क्रमांक : (07752) 240712, 240752

[www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in) E-mail-registar@pssou.ac.in



क्र ५४० /शिक्षा /2025

बिलासपुर, दिनांक ०२/०९/२०२५

## बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु समस्त जानकारी एवं निर्देश

विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बी.एड. दूरवर्ती पाठ्यक्रम के सत्र 2025–26 में प्रवेश हेतु निर्देश –

- चयनित अभ्यर्थियों का अध्ययन केन्द्र – 02 सितम्बर 2025 (संभावित)  
आवंटन सूची
- प्रवेश प्रारंभ – 08 सितम्बर 2025 से 12 सितम्बर 2025 (संभावित)  
(शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर)
- सीट रिक्त रहने की स्थिति में द्वितीय – 15 सितम्बर 2025 (संभावित)  
सूची का प्रकाशन किया जावेगा
- द्वितीय सूची का प्रवेश – 18 सितम्बर 2025 से 20 सितम्बर 2025 (संभावित)  
(शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर)
- सीट रिक्त रहने की स्थिति में तृतीय सूची – 22 सितम्बर 2025 (संभावित)  
एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन किया जावेगा
- तृतीय सूची का प्रवेश – 24 सितम्बर 2025 से 26 सितम्बर 2025 (संभावित)  
(शासकीय अवकाश दिवस को छोड़कर)
- सीट रिक्त रहने की स्थिति में विश्वविद्यालय के वेब साइट पर अलग से सूचना दी  
जावेगी। कॉर्डसलिंग सह प्रवेश संबंधी समस्त सूचना का प्रकाशन केवल विश्वविद्यालय की  
वेबसाईट पर किया जायेगा अतः अभ्यर्थी वेबसाईट का सतत अवलोकन करते रहें।

बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया सिहावा अकादमी भवन, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छ.ग. बिलासपुर मुख्यालय कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर में दिनांक 08/09/2025 से 12/09/2025 तक कार्यालयीन समय पर चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन एवं प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि अनुसार होगा।

अतः सभी चयनित अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी एक छाया प्रति विश्वविद्यालय द्वारा जारी पूर्व में प्रवेश हेतु अधिसूचना क्र. 1421 /शिक्षा /2025 बिलासपुर, दिनांक 24/03/2025 ([https://pssou.ac.in/attachment/notice\\_board/Education\\_1421\\_24\\_03\\_2025.pdf](https://pssou.ac.in/attachment/notice_board/Education_1421_24_03_2025.pdf)) अनुसार चाही गई प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेज का सत्यापन कराने तथा प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क चालान बनवाने बाबत् साथ में अवश्य लावें।

### आवश्यक निर्देश :–

- प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य आबंटित अध्ययन केन्द्रों में नहीं होगा उपरोक्त कार्य हेतु निर्दिष्ट स्थान विश्वविद्यालय मुख्यालय पर ही होगा।

31

- प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण कराये तथा शुल्क चालान जमा कर ऑनलाइन अपडेट भी कराये।
- प्रवेश प्रक्रिया एवं सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित तिथि में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कराते हैं तथा शुल्क चालान जमा नहीं कर ऑनलाइन अपडेट भी नहीं करने कि स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु दावा स्वतः निरस्त हो जावेगा।
- उपरोक्त सूची में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक इंजिनियरिंग में हो, उनके स्नातक में न्यूनतम प्राप्तॉक 55 प्रतिशत (SC/ST/OBC/PH/Fem. को 5 प्रतिशत की छूट होगी) होना अनिवार्य है। नहीं होने की स्थिति में सत्यापन के समय उन्हे आपात्र घोषित करते हुये उन्हे प्रवेश प्रक्रिया से वंचित किया जायेगा।

आदेशानुसार

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि.  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

क्र. ५४१ / शिक्षा / 2025

बिलासपुर, दिनांक ०२ / ०९ / 2025

प्रतिलिपि:-

- कुलपति जी के निज सचिव को कुलपति जी को सूचनार्थ ।
- कुलसचिव के निज सचिव को कुलसचिव जी को सूचनार्थ ।
- वित्ताधिकारी को सूचनार्थ
- प्रभारी क्षेत्रिय समन्वयक रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अम्बिकापुर को सूचनार्थ ।
- प्रभारी..... विभाग को सूचनार्थ ।
- संपादक दैनिक..... को अधिसूचना, अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के सभी संस्करणों में समाचारवृत्त के रूप में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- वेबसेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करें।
- कार्यालय प्रति ।

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि.  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

## बी.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु सामान्य जानकारियाँ

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के द्वारा संचालित द्विवर्षीय बी. एड. दूरवर्ती कार्यक्रम हेतु बी.एड. प्रवेश आवेदन फार्म प्रक्रिया से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें निम्नांकित हैं—

### 1. प्रवेश हेतु प्रक्रिया —

बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित समस्त अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन एवं प्रवेश प्रक्रिया सिहावा अकादमी भवन, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छ.ग. बिलासपुर मुख्यालय कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर में अपना प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि अनुसार दस्तावेज सत्यापन कराये। तत्पश्चात ही पाठ्यक्रम शुल्क का चालान बनवायें, दस्तावेज सत्यापन के पूर्व, चालान बनवाकर न लावें।

### 2. पात्रता —

#### 2.1 बी.एड. कार्यक्रम हेतु पात्रता —

एन.सी.टी.ई. के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी बी.एड. ओ.डी.एल. में प्रवेश पाने के पात्र होंगे —

2.1.1 स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। (विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी में कम से कम 50 प्रतिशत अंक तथा इंजिनियरिंग जिसमेंविज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 55 प्रतिशत अंक)। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा-वर्ग/विकलांग की स्थिति में कम से कम 5 प्रतिशत अंक पाने की छूट होगी एवं सभी महिला अभ्यर्थी को स्नातक में कम से कम 5 प्रतिशत अंक की छूट होगी। प्रत्येक छूट के पश्चात् 45% अंक अनिवार्य है।

2.1.2 इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत अध्यापक है तो उसे प्राथमिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा डी.एल.एड./डी.एड./बी.टी.आई/बी.टी.सी/डी.पी.ई. पूर्ण किया हुआ हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य के विद्यालय में कार्यरत हो।

#### अथवा

यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है तो वह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी. टी.ई.) द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति (फेस-टू-फेस) से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम अ पूर्ण किया हो।

2.1.3 यह भी कि इस कार्यक्रम के आवेदन के समय अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है।

2.1.4 अनुसूचित जनजाति /अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा—वर्ग/ विकलांग तथा अन्य ऐसे वर्ग के लिए अंको में छूट तथा सीट आरक्षण छ.ग. राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार लागू होगा।

**नोट:-**ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रवेश परीक्षा/प्रवेश आवेदन फार्म प्रक्रिया में समान अंक प्राप्त किए हैं उनमें से अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवेश में वरियता दी जायेगी।

- ✓ परीक्षार्थी स्वयं अपनी पात्रता पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेंगे कि बी.एड. कार्यक्रम हेतु पात्र है। बी.एड. प्रवेश आवेदन के साथ किसी भी प्रकार की प्रमाण—पत्र, छाया—प्रति एवं मूल प्रमाण—पत्र संलग्न नहीं करना है। प्रवेश प्रक्रिया के समय सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध कराने होंगे। सत्यापन के समय यदि प्रमाण—पत्र गलत पाया जाता है तो गलत जानकारी देने के कारण उसे प्रवेश से वंचित किया जायेगा। प्रवेश के पश्चात् यदि कोई प्रमाण—पत्र गलत पाया जायेगा तो उसे निरस्त किया जायेगा तथा कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- ✓ अतः अभ्यर्थी अपनी सम्पूर्ण जानकारी आवेदन पत्र में चाही गयी अनुसार सत्य एवं स्पष्ट तौर पर भरें, चूंकि आपके आवेदन पर आपके द्वारा दी गयी जानकारी को सत्य एवं अंतिम मानते हुये आगे की प्रक्रिया की जायेगी बाद में उस पर किसी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।

### 3. कार्यक्रम में प्रवेश

3.1 बी.एड. कार्यक्रम की 500 सीटों पर प्रवेश के लिए पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय प्रावीण्य सूची निर्माण करेगा। प्रवेश नियमों के आधार पर इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय, नियमानुसार रेंकिंग (Ranking) सूची घोषित करेगा और केवल इसी सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रावीण्य सूची की सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही जारी की जायेगी अतः अभ्यर्थी लगातार विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें।

### 4 बी.एड. कार्यक्रम संचालन हेतु अध्ययन केन्द्र

क्र.	प्रस्तावित अध्ययन केन्द्र के नाम	कोड
1.	विश्वविद्यालय मुख्यालय, बिलासपुर	01
2.	पं. हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय, सलखो, नैला—जांजगीर	02
3.	आदर्श महाविद्यालय, मुर्गा रोड, दतरेंगा, रायपुर	03
4.	शा. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर	04
5.	मनसा शिक्षा महाविद्यालय, कोहका, भिलाईनगर, जिला—दुर्ग	05
6.	रॉयल महाविद्यालय, राजनांदगांव	06
7.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा	07
8.	श्री वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय, जगदलपुर, जिला बस्तर	08
9.	डी.पी.विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर	09
10.	उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान, बिलासपुर	10

उक्त अध्ययन क्रेन्द्रों की संख्या एवं नाम में परिवर्तन सम्भव है।

## महत्वपूर्ण सूचना

✓ अध्ययन केन्द्र आवंटन / परिवर्तन का सर्वाधिकार वि.वि. के पास सुरक्षित रहेगा ।

### 5. कार्यक्रम शुल्क

बी.एड. दूरवर्ती कार्यक्रम के शुल्क निम्नांकित हैं—

प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	30,000.00
द्वितीय वर्ष पाठ्यक्रम शुल्क	30,000.00

- उपरोक्त वर्णित शुल्क प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय तथा द्वितीय वर्ष में प्रवेश के समय देय होंगे। शुल्क में बदलाव की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना ही मान्य होगी।
- उपरोक्त शुल्क पाठ्यक्रम प्रशिक्षण एवं पाठ्यसामग्री हेतु निर्धारित है तथा अन्य दत्तकार्यों हेतु आवश्यक सामग्रीयों की व्यवस्था विद्यार्थियों को स्वयं करना होगा।

अन्य शुल्क :—

- अध्ययन केन्द्र परिवर्तन शुल्क — 1000/-
- विषय परिवर्तन शुल्क — 700/-
- अन्य अध्ययन केन्द्र में संपर्क कक्षा करने / UTD (वि.वि. मुख्यालय) में संचालित की जाने वाली अतिरिक्त संपर्क कक्षा शुल्क

नोट:- अध्ययन केन्द्र परिवर्तन स्थान रिक्त रहने पर ही किया जा सकेगा।

### 6. कार्यक्रम अवधि

बी.एड. व डी.एल.एड. कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की न्यूनतम अवधि दो वर्ष तथा अधिकतम अवधि चार वर्ष की होगी अर्थात् प्रत्येक छात्र को प्रवेश प्राप्त होने के चार वर्ष के अंदर पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। चार वर्ष पश्चात पंजीयन स्वतः ही निरस्त हो जावेगा विश्वविद्यालय के नियमानुसार पुनः पंजीयन करा सकता है।

### 7. पुनः पंजीयन

निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं करने की स्थिति में छात्र विश्वविद्यालय के नियमानुसार पुनः पंजीयन के पात्र होंगे।

### 8. आरक्षण

बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रवेश हेतु आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रसारित लागू नियमानुसार होगा।

9. क्षेत्राधिकार — बी.एड. में प्रवेश से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया NCTE व छ.ग. राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग के समय -समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप की गई है तथापि किसी भी तरह की आपत्ति या असहमति होने की स्थिति में माननीय कुलपति महोदय के समक्ष आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अंतिम निर्णय माननीय कुलपति जी का होगा, जो अभ्यर्थी को मान्य होगा। किसी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय (बिलासपुर) के क्षेत्राधिकार तक ही सीमित रहेगा।

## 10. बी.एड. प्रवेश प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण निर्देश -

10.1 प्रवेश हेतु आवेदक अपनी पात्रता सम्बन्धी जाँच स्वतः कर अहता का निर्धारण करें। मात्र ऑन-लाइन आवेदन करने से छात्र के प्रवेश की पात्रता का निर्धारण नहीं होगा। प्रावीण्य सूची में उनके द्वारा प्रस्तुत शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, मूल प्रवर्जन प्रमाण पत्र, उपयुक्त जाति प्रमाण पत्रों को सत्यापन करा कर काऊसिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने पर ही संभव होगा। प्रवेश से संबंधित किसी भी विवाद में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

नोट – विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच स्वतः करे अथवा अन्य एजेंसियों से करवाए। शिक्षण अनुभव में अथवा अन्य किसी प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जावेगा तथा छात्र द्वारा जमा कोई शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

10.2 किसी भी परिस्थिति में प्रवेश प्रक्रिया शुल्क वापस नहीं होगा।

10.3 प्रवेश की प्रावीण्य सूची वेबसाइट ([www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in)) पर ही निर्धारित तिथि को घोषित किया जायेगा।

10.4 बी.एड. प्रथम वर्ष में प्रवेश छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम एवं निर्देशानुसार आरक्षण नियमानुसार दिया जावेगा। कुल 500 सीटों में सभी वर्ग-अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सभी संवर्ग-महिला, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक समाहित होंगे।

10.5 अभ्यार्थी को आरक्षित वर्ग एवं संवर्ग का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. श्रेणी— छत्तीसगढ़ प्रवेश नियम एवं बी.एड. प्रवेश नियम के आधार पर श्रेणी से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)।

12. संवर्ग – छत्तीसगढ़ डी.एल.एड. प्रवेश नियम के आधार पर संवर्ग से तात्पर्य है, महिला, निःशक्ति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिक। संवर्ग में आरक्षण व्यापम के मानकों के अनुसार मान्य होगा।

13. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणीयाँ होंगी तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी आरक्षण निम्नानुसार होगा—

(एक) अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत।

(दो) अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत (30% अनुसूचित जनजाति एवं 2% विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति)

(तीन) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए 14 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)

श्रेणीयों में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन श्रेणीयों के जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समय-समय पर जारी निदेशों के अनुरूप जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग आरक्षण का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणीयों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा –

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियम एवं निर्देशानुसार निर्धारित रहेगा। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी निदेशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संवर्ग के लिए 3 % इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी निदेशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 % इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी निदेशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(चार) महिला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत। (जो कि हर वर्ग की चयन सूची में समाहित होगा)

14. **प्रावीण्य सूची** – प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) की पृथक—पृथक प्रावीण्य सूचियों तैयार की जाएगी। पूर्वतः अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा सामान्य सभी जातियों को शामिल किया जायेगा।
15. **चांस/प्रतिक्षा से तात्पर्य है** – उन अभ्यार्थियों से है जो कि जब मैरिट में चयनित छात्र किसी कारण से प्रवेश नहीं ले पाते हैं या उनका प्रवेश नहीं हो पाता है तब उनके रिक्त स्थान पर मैरिट में चयनित अभ्यार्थियों के क्रम से नीचे के क्रम अनुसार अभ्यार्थियों का चयन किया जाता है। यदि स्थान रिक्त नहीं हो तो चांस हेतु पंजीकृत अभ्यार्थियों का चयन (प्रवेश) नहीं होगा। स्थान रिक्त रहने तक ही चांस हेतु अभ्यार्थियों का चयन मैरिट क्रम से होगा। विशेष परिस्थिति में मैरिट क्रम के अभ्यार्थियों के नहीं आने अथवा प्रवेश अंतिम तिथि निकट होने या अंतिम दिवस की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु आवेदित अभ्यार्थियों अथवा अहताधारी फ्रेस अभ्यार्थियों से प्रथम आओं प्रथम पावों के तहत भी स्थान भरने की प्रक्रिया करने का निर्णय तत्काल लेने का भी अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासन के पास होगा।
16. **जिन अभ्यार्थियों ने अपनी अंतिम परीक्षा छ.ग. राज्य के बाहर से दी है उन छात्रों को आवृज्ञ शुल्क (Immigration Fees) एवं पात्रता प्रमाण पत्र हेतु रु.1100/- (ग्यारह सौ रुपये ) का जमा करना होगा। (ऐसे अभ्यार्थियों का प्रवेश वि.वि. द्वारा पात्रता प्रदान करने तक पूर्णतः अस्थायी रहेगा। अतः ऐसे अभ्यार्थियों प्रवेश के एक माह के अंदर वि.वि. से अपना पात्रता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें)**
17. **आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश – आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जायेगा। रिक्त सीटों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर दिया जायेगा।**
18. **आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश – किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी न होने के दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा।**
- (क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटे अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से भरी जाएंगी।

- (ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से भरी जाएँगी।
- (ग) अनुसूचित जाति श्रेणी अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यार्थियों से भरी जाएँगी।
- (घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से और बाद में भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यार्थियों से भरी जाएँगी।
- (ङ) सभी वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटे अनारक्षित की जायेगी।
19. काउंसिलिंग के आधार पर चयनित छात्रों के लिए बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण हेतु 10 दिवसीय सम्पर्क कक्षा में माग लेना अनिवार्य है। प्रति वर्ष की सम्पर्क कक्षाओं/कार्यशालाओं में छात्र की उपस्थिति बी.एड. एवं डी.एल.एड. हेतु 80 प्रतिशत होना अनिवार्य है अन्यथा छात्र सत्रांत परीक्षा में बैठने की पात्रता खो देंगे।
20. काउंसिलिंग में चयनित छात्रों को संस्था/महाविद्यालय में प्रवेश पश्चात् अध्ययन-सामग्री दी जाती है। छात्र अध्ययन सामग्री प्राप्त करने के पश्चात् उसका गहन अध्ययन करें तथा सम्पर्क कक्षा में उपस्थिति प्रतिशत सुनिश्चित करें।
21. सम्पर्क कार्यक्रम के दौरान अंतिम तीन दिवस में प्रत्येक सैद्धांतिक विषय से सम्बंधित अधिकतम 30 अंकों की सत्रीय कार्य प्रवेशित अध्ययन केन्द्रों में जमा ली जायेगी जिसमें निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा छात्र उस विषय की सत्रांत परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। सत्रीय परीक्षा कार्य जमा करने की तिथि विश्वविद्यालय की वेबसाइट ([www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in)) पर दर्शित किये जावेंगे। सत्रीय अभ्यर्थी विश्वविद्यालय से प्राप्त अध्ययन सामग्री की सहायता पूर्ण कर सकेंगे।

# बी.एड. प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

(प्रमाण पत्रों की मूल एवं छाया प्रति)

1. ऑन लाईन रजिस्ट्रे शन फार्म की पावती प्रतिलिपि
2. प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र
3. सीट आबंटन का पृष्ठ
4. 10 वी की अंक सूची
5. 12 वी की अंक सूची
6. स्नातक की समस्त (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) अंक सूची
7. स्नातकोत्तर की समस्त (पूर्व एवं अंतिम वर्ष) अंक सूची
8. डी.एल.एड./डी.एड. की अंक सूची
9. प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण पत्र (अंतिम पाठ्यक्रम)
10. अनुभव प्रमाण पत्र
11. जाति प्रमाण पत्र
12. निवास प्रमाण पत्र
13. दिव्यांग/सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र अगर हो तो, उसका प्रमाण पत्र
14. आधार कार्ड
15. शपथ पत्र
16. एक फोटो
17. OBC नॉन क्रिमीलेयर के अभ्यर्थियों को अपने जाति प्रमाण पत्र के साथ नॉन क्रिमीलेयर होने संबंधी प्रमाण पत्र (वर्तमान का आय प्रमाण पत्र) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है, नहीं लाने की स्थिति में प्रवेश प्रक्रिया से बंचित रहेंगे।

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बी.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु  
शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक .....

विद्यालय का नाम .....

विद्यालय का पता .....

विद्यालय का दूरभाष क्रं .....

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक - .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु. ....

पिता/पति ..... इस विद्यालय में .....

पद पर दिनांक ..... से निरंतर वर्तमान में कार्यरत है।

हस्ताक्षर  
प्राचार्य/प्रधानाध्यापक  
नाम - .....

सील - .....

नोट :- (1) उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्तकिया जावेगा। (2) शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसिलिंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो। (3) अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्रधानपाठक से पूर्ण रूप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। (4) अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा। यह प्रमाण पत्र आबंटन सूची से 30 दिन पूर्व तक का मान्य होगा।

हस्ताक्षर  
जिला शिक्षा अधिकारी/ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी  
नाम - .....

सील - .....

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बी.एड. हिंदूर्धीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु  
शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक .....

विद्यालय का नाम .....

विद्यालय का पता .....

विद्यालय का दूरभाष क्रं .....

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक - .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु. ....

पिता/पति ..... इस विद्यालय में .....

पद पर दिनांक ..... से ..... तक कार्य किया है।

हस्ताक्षर  
प्राचार्य/प्रधानाध्यापक  
नाम - .....  
सील -

नोट :- (1) उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छॉट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्तकिया जावेगा। (2) शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसिलिंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो। (3) अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्रधानपाठक से पूर्ण रूप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। (4) अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारूप में स्वीकार्य होगा।

हस्ताक्षर  
जिला शिक्षा अधिकारी/ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी  
नाम - .....  
सील -

**बी.एड./डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु  
प्रारूप क्रमांक 05 शपथ पत्र का प्रारूप**

(10/- रु. के स्टाम्प में नोटरी कराकर ही शपथ पत्र देवें )

मैं .....

**पिता/पति .....**

**प्रवेश परीक्षा अनुक्रमांक .....** यह  
घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त  
समस्त जानकारी, संलग्न प्रमाण—पत्रों की छाया प्रति सत्य व  
सही है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत अथवा झूठी  
पाई जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे यह स्वीकार होगा  
कि विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे प्रवेश एवं उपरोक्त पाठ्यक्रम  
की उपाधि को किसी भी समय निरस्त करने एवं मेरे विरुद्ध  
किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

**दिनांक –**

**अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

**स्थान –**

## आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केन्द्र परिवर्तन हेतु प्रावधान

1. आपसी सहमति के आवेदन काउंसलिंग खत्म होने के एक सप्ताह के अंदर ही स्वीकार किये जायेंगे। एक सप्ताह के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
2. अध्ययन केन्द्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही किया जायेगा। आवेदन में दोनों आवेदकों का पूर्ण विवरण हस्ताक्षर सहित होना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
3. अध्ययन केन्द्र परिवर्तन केवल आपसी सहमति के आधार पर ही संभव होगा। इसके लिए अन्य कोई विकल्प पर विचार नहीं किया जायेगा।

**प्रारूप क्रमांक 04 आपसी सहमति के आधार पर अध्ययन केन्द्र  
परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप**

**आवेदक क्रमांक 1 का विवरण**

नाम	-	.....										
वर्तमान अध्ययन केन्द्र	-	.....										
आवेदन क्रमांक	-	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>F</td><td>R</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	F	R	1	3	0					
F	R	1	3	0								
वांछित अध्ययन केन्द्र	-	.....										
मोबाइल नम्बर	-	.....										

**आवेदक क्रमांक 2 का विवरण**

नाम	-	.....										
वर्तमान अध्ययन केन्द्र	-	.....										
आवेदन क्रमांक	-	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>F</td><td>R</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	F	R	1	3	0					
F	R	1	3	0								
वांछित अध्ययन केन्द्र	-	.....										
मोबाइल नम्बर	-	.....										

उपरोक्त स्थानतरण हेतु हमारी आपसी सहमति है

हस्ताक्षर  
आवेदक क्रमांक 1  
दिनांक

हस्ताक्षर  
आवेदक क्रमांक 2  
दिनांक

**कार्यालयीन उपयोग हेतु**

आवेदकों द्वारा मांगा गया संशोधन मान्य किया जाता है / अमान्य किया जाता है।

दिनांक:

हस्ताक्षर  
विभागाध्यक्ष